

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II,  
SECTION 3, SUB SECTION (ii)]

Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Revenue  
(Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19<sup>m</sup> February, 2016.

S.O. .... (E).- In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purpose of the said clause, the Competition Commission of India, a Commission established under sub-section (1) of section 7 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), in respect of the following specified income arising to the said Commission, namely:-

- (a) amount received in the form of Government grants;
- (b) fees received under the Competition Act, 2002; and
- (c) interest accrued on Government grants and interest accrued on fees received under the Competition Act, 2002.

2. This notification shall be effective subject to the following conditions, namely:-

- (i) the Competition Commission of India does not engage in any commercial activity;
- (ii) the activities and the nature of the specified income of the Competition Commission of India shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (iii) the Competition Commission of India shall file return of income in accordance with clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be applicable for the specified income of the Competition Commission of India for the financial years 2016-2017 to 2020-2021.

[Notification No. 68 /2016, F.No.196/32/2014-ITA-I]




(Deepshikha Sharma)

Director to the Government of India

To,

The Manager,  
Government of India Press,  
Ring Road, Mayapuri,  
Near Rajouri Garden,  
New Delhi.

  
19/2/16



[भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी, 2016

का.आ. (अ), - आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (46) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, उक्त उपवाक्य के प्रयोजन के लिए 'भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग' को इस आयोग को होने वाली निम्नलिखित विशिष्ट आय की बावत प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत एक स्थापित आयोग घोषित करती है, यथा :-

- (क) सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली राशि;
- (ख) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्राप्त शुल्क;
- (ग) सरकारी अनुदान से उदभूत होने वाले ब्याज और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्राप्त शुल्क से उदभूत होने वाले ब्याज;

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के साथ लागू होगी, यथा :-

- (i) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग किसी भी वाणिज्यिक क्रियाकलाप में संलग्न नहीं होगा;
- (ii) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के क्रियाकलाप और इसको होने वाली विशेष आय के स्रोत में पूरे वित्तीय वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं होगा
- (iii) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के उपवाक्य (छ) के प्रावधानों के अनुसार अपना आयकर रिटर्न भरा करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को होने वाली विशेष आय पर लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 08/2016, फा.सं. 196/32/2014-आईटीए-1]

दीपशिखा

(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

रिंग रोड, मायापुरी,

राजौरी गार्डन के निकट

नई दिल्ली।